


5/2/20

गामको क

पचा. पेस इरी वुठो इका बदन पर मन भव
परापती के इकात उपते दाय वीर भि
जाता ही निर्णय प्रकृत मे विववाय पाद
मे इकात मुनाया गया

पत्र ३ कोन गुण ए. १९८५ १५
इका तालि वत ही


सहायक कमिश्नर
नवबई जिला धरमपुर

शाहीरब लाली

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर, नदबई
व इजलास श्री सचिन यादव, आर.ए.एस
मु० उन० रामखिलाडी बनाम बन्दू वगै०

मुकदमा नंबर 73/2021

दावा बाबत 53,188 रा०का० अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू-
मिनजानिब मुददठ व मिनजानिब मुददालय पेश होकर, हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है
कि व हाजरी वादी

विवादित आराजी खसरा नंबर 490 रकबा 0.14, 491 रकबा 0.06, 492 रकबा 0.08, 493 रकबा 0.14 हैक्टेयर वाके ग्राम परसवारा तहसील नदबई में स्थित है। वादी व प्रतिवादीगण को कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 09.07.2025 के अनुसार खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 09.07.2025 (प्रदर्श-अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 09.07.2025 प्रदर्श-"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। उक्तानुसार तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काशत /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरुद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें। बिज - मुबलिंग - - - - - बावत - - - - - खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह - - - - - फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक की अदा करें।

दसबत व मुहर अदालत के आज तारीख

को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत

सहायक कलक्टर

मुददई	रुपया	पेश	मुददालय	रुपया	पेश
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बावत इजराय हुकम नामा मुतफरिंक			स्टाम्प अजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बावत इजराय हुकमनामा मुतफरिंक		
मीजान			मीजान		

1. रामखिलाडी पुत्र खुट्टी जाति जाटव निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला
भरतपुर।


बनाम

1. बन्दू पुत्र बृजमोहन जाति जाटव निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. सुभाष पुत्र राजेन्द्र जाति जाटव निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. चन्द्रभान पुत्र राजेन्द्र जाति जाटव निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला
भरतपुर।
4. विनोद पुत्र राजेन्द्र जाति जाटव निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. चांदनी पुत्री राजेन्द्र जाति जाटव निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. वीरवती बेवा राजेन्द्र जाति जाटव निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. भूरीसिंह पुत्र सफेदी जाति जाटव निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. गौरीशंकर पुत्र अतरसिंह जाति ब्राह्मण निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला
भरतपुर।
9. लल्लन पुत्र अतरसिंह जाति ब्राह्मण निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला
भरतपुर।
10. दीनदयाल पुत्र अतरसिंह जाति ब्राह्मण निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला
भरतपुर।
11. बनवारी पुत्र अतरसिंह जाति ब्राह्मण निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला
भरतपुर।
12. सुनील पुत्र राधेलाल जाति ब्राह्मण निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला
भरतपुर।
13. बृजभूषण पुत्र राधेलाल जाति ब्राह्मण निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला
भरतपुर।
14. मोहनदेई बेवा राधेलाल जाति ब्राह्मण निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला
भरतपुर।
15. आरती पुत्री राधेलाल जाति ब्राह्मण निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला
भरतपुर।
16. इन्द्रदेव पुत्र बृजमोहन जाति जाटव निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला
भरतपुर।
17. उदयसिंह पुत्र बृजमोहन जाति जाटव निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला
भरतपुर।
18. गब्बरसिंह पुत्र बृजमोहन जाति जाटव निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला
भरतपुर।
19. नटवर पुत्र बृजमोहन जाति जाटव निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला
भरतपुर।
20. निर्भय पुत्र रामहेत जाति ब्राह्मण निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
21. परभाती पुत्र कन्हैया जाति जाट निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।


सहायक कमिश्नर
नदबई जिला भरतपुर

22. राधा पुत्री बृजमोहन जाति जाटव निवासी परसवासा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
23. रामखिलाडी पुत्र मंगल सिंह जाति जाट निवासी परसवासा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
24. सुमित्रा पत्नी बृजमोहन जाति जाटव निवासी परसवासा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
25. पीएनबी शाखा लखनपुर।
26. एसबीआई शाखा नदबई।
27. राज. सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।
28. सब रजिस्ट्रार लखनपुर

प्रतिवादीगण


सहायक क्लर्क
नदबई जिला भरतपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री सचिन यादव R.A.S.)

दावा सं.
73/2021

रजू दिनांक
24.05.2021

अन्तिम पर्चा डिक्री व निर्णय दिनांक
05.02.2026

उनवान

1. रामखिलाडी पुत्र खुट्टी जाति जाटव निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला
भरतपुर।

वादी

बनाम

1. बन्दू पुत्र बृजमोहन जाति जाटव निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. सुभाष पुत्र राजेन्द्र जाति जाटव निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. चन्द्रभान पुत्र राजेन्द्र जाति जाटव निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. विनोद पुत्र राजेन्द्र जाति जाटव निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. चांदनी पुत्री राजेन्द्र जाति जाटव निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. वीरवती बेवा राजेन्द्र जाति जाटव निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. भूरीसिंह पुत्र सफेदी जाति जाटव निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. गौरीशंकर पुत्र अतरसिंह जाति ब्राह्मण निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
9. लल्लन पुत्र अतरसिंह जाति ब्राह्मण निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
10. दीनदयाल पुत्र अतरसिंह जाति ब्राह्मण निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
11. बनवारी पुत्र अतरसिंह जाति ब्राह्मण निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
12. सुनील पुत्र राधेलाल जाति ब्राह्मण निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
13. बृजभूषण पुत्र राधेलाल जाति ब्राह्मण निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
14. मोहनदेई बेवा राधेलाल जाति ब्राह्मण निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
15. आरती पुत्री राधेलाल जाति ब्राह्मण निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
16. इन्द्रदेव पुत्र बृजमोहन जाति जाटव निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

17. उदयसिंह पुत्र बृजमोहन जाति जाटव निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
18. गब्बरसिंह पुत्र बृजमोहन जाति जाटव निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
19. नटवर पुत्र बृजमोहन जाति जाटव निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
20. निर्भय पुत्र रामहेत जाति ब्राह्मण निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
21. परभाती पुत्र कन्हैया जाति जाट निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
22. राधा पुत्री बृजमोहन जाति जाटव निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
23. रामखिलाडी पुत्र मंगल सिंह जाति जाट निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
24. सुमित्रा पत्नी बृजमोहन जाति जाटव निवासी परसवारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
25. पीएनबी शाखा लखनपुर।
26. एसबीआई शाखा नदबई।
27. राज. सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।
28. सब रजिस्ट्रार लखनपुर

प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री लक्ष्मण सिंह एडवो० (वादी की ओर से)

श्री रामकिशन पूनियां एडवो० (प्रतिवादी की ओर से)

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आरटीए एक्ट

—: निर्णय :—

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र विवादित आराजी खसरा नंबर 490 रकबा 0.14, 491 रकबा 0.06, 492 रकबा 0.08, 493 रकबा 0.14 हैक्टेयर वाके ग्राम परसवारा तहसील नदबई में स्थित है। नकल जमाबंदी सवत 2074 से 2077 वादपत्र के साथ संलग्न है। वादी व प्रतिवादीगण के बीच हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सानुसार अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी आराजी के कुरेजात किए जाकर चार्ज मीट्स एण्ड बाउण्ड कानूनी बंटवारा किया जाकर वादी को उसके हिस्से के कुरे का न्यारानूर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा अलग अलग लगान खाता कायम किया जावे।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4, 7,16,18,19 की ओर से श्री रामकिशन पूनियां एडवोकेट उपस्थित हुए। तथा शेष प्रतिवादीगण तामील बाबजूद भी न्यायालय उपस्थित नहीं हुए अतः शेष प्रतिवादीगण के विरुद्ध नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण की ओर से जबाव दावा पेश करने हेतु उचित अवसर प्रदान किए परन्तु जबाव दावा पेश नहीं किया गया अतः जबाव दावा बंद किया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गई। साक्ष्यवादी के रूप में रामखिलाडी पुत्र खुट्टी जाति जाटव निवासी परसवारा एवं विजयसिंह पुत्र फगुनी जाति जाटव निवासी परसवारा के शपथ पत्र पेश किए

गए। तदुपरान्त उभयपक्ष अधिवक्तागण की सहमति के आधार पर दावा में दिनांक 09.04.2025 को प्रारंभिक डिक्री जारी की गई।

वादपत्र में दिनांक 09.04.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी किए जाने के उपरान्त तहसीलदार नदबई के पत्रांक 4276 दिनांक 08.08.2025 द्वारा कुरे विभाजन प्रस्ताव दिनांक 09.07.2025 तैयार कर न्यायालय में भिजवाए गए। पत्रावली बहस कुरा रिपोर्ट हेतु नियत की गई। तदुपरान्त उक्त कुरा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 09.07.2025 पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों/कुरा रिपोर्ट का अध्ययन किया तो पाया कि तहसीलदार नदबई से प्राप्त कुरा रिपोर्ट दिनांक 09.07.2025 राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तैयार की गई है। अतः दावा स्वीकार योग्य पाए जाने से दावा निम्नानुसार डिक्री किया जाता है :-

---अन्तिम पर्चा डिक्री---

वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से वाद का अन्तिम निर्णय किया जाता है एवं विवादित आराजी खसरा नंबर 490 रकबा 0.14, 491 रकबा 0.06, 492 रकबा 0.08, 493 रकबा 0.14 हैक्टेयर वाके ग्राम परसवारा तहसील नदबई में स्थित है। वादी व प्रतिवादीगण को कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 09.07.2025 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 09.07.2025 (प्रदर्श-अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 09.07.2025 प्रदर्श-"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। उक्तानुसार तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरुद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/02/26 को मेरे द्वारा लिखवायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की डिक्री से जोशिली गई।




सहायक कलक्टर (R.A.S.)
सहायक कलक्टर नदबई
नदबई जिला भरतपुर